**न्यायालय–मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण/अपर जिला जज, मोहम्मदी, खीरी।**

(लोक अदालत)

प्रकीर्ण वाद सं0 02/2018

(सम्बन्धित एम0ए0सी0पी0नं0–192/2015)

श्रीमती सुनीता देवी आदि बनाम माजिद हुसैन आदि।

14–07–2018

वर्तमान धन वापसी प्रार्थना–पत्र प्रार्थिनीगण सुनीता आदि ने एम0ए0सी0पी0नं0–192/2015, श्रीमती सुनीता देवी आदि बनाम माजिद हुसैन आदि में पारित निर्णय/अवार्ड दि0 17–09–2017 के अनुपालन में विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा जमा की गयी प्रतिकर धनराशि के भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है।

सुना तथा कार्यालय लिपिक, बैंक की आख्या व मूल पत्रावली का अवलोकन किया।

एम0ए0सी0पी0नं0–192/2015 श्रीमती सुनीता देवी आदि बनाम माजिद हुसैन आदि में दिनांक 17–09–2017 को पारित निर्णय/अवार्ड से रू0 4,00,000/–प्रतिकर याचिका विपक्षीगण के विरूद्ध स्वीकार की गयी। उपरोक्त प्रतिकर धनराशि का भुगतान निम्नवत् किये जाने के आदेश किये गये है :–

''याचिनीगण की वर्तमान मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिका आंशिक रूप से मु0–4,00,000/–रू0 प्रतिकर व उस पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज हेतु विपक्षीगण के विरूद्व स्वीकार की जाती है। उपरोक्त प्रतिकर की धनराशि में से याचिनी सं0–1 सुनीता देवी रू0 1,50,000/– व उस पर ब्याज प्राप्त करेंगी। याचिनी सं01 को प्राप्त होने वाली धनराशि में से रू0 1,00,000/– याचिनी सं01 के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा योजना में 3 वर्ष के लिए निवेशित किये जाये, जिसका त्रैमासिक ब्याज याचिनी सं01 प्राप्त करेंगी। याचिनी सं01 अपने हिस्से की शेष धनराशि जरिये एकाउण्ट पेई चेक से प्राप्त करेंगी। याचिनी सं0–2 कु0 मोहिनी व याचिनी सं0 3 कु0 सोहिनी रू0 75,000–75,000/–व उस पर ब्याज प्राप्त करेंगी। उक्त धनराशि उनके वयस्क होने की अवधि तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा योजना में 3 वर्ष के लिए निवेशित किये जाये, जिसका त्रैमासिक ब्याज उनकी प्राकृतिक संरक्षिका मां याचिनी सं01 सुनीता देवी प्राप्त करेंगी तथा अवयस्क याचिनी सं0 2 व 3 की शिक्षा, स्वास्थ्य, लालन–पाल आदि पर आवश्यकतानुसार खर्च करेगी।

याचिनी सं04 श्रीमती रामश्री रू0 1,00,000/–प्राप्त करेंगी, जिसमें से रू0 75,000/– किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा योजना में 3 वर्ष के लिए निवेशित किये जाये, जिसका त्रैमासिक ब्याज याचिनी सं04 प्राप्त करेंगी।

कोई स्टे या अपील न होना अंकित किया है। उपरोक्त निर्णय/अवार्ड के अनुपालन में विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा रू0 4,00,000/– जरिए चेक जमा करने की आख्या कार्यालय द्वारा दी गयी है। बैंक आख्या के अनुसार इस धनराशि पर खाते का ब्याज 7901/–रूपये भी देय है। इस प्रकार कुल धनराशि 4,07,901/–रूपये जमा है, जिसका भुगतान अवार्ड के अनुपात के अनुसार किया जाना उचित है।

याचीगण को रु0 4,07,901/– अवार्ड के अनुसार व अनुपात में निम्नवत देय होंगेः–

उपरोक्त प्रतिकर की धनराशि में से याचिनी सं0–1 सुनीता देवी रू0 1,53,000/– व उस पर ब्याज प्राप्त करेंगी। याचिनी सं01 को प्राप्त होने वाली धनराशि में से रू0 1,00,000/– याचिनी सं01 के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा योजना में 3 वर्ष के लिए निवेशित किये जाये, जिसका त्रैमासिक ब्याज याचिनी सं01 प्राप्त करेंगी। याचिनी सं01 अपने हिस्से की शेष धनराशि जरिये एकाउण्ट पेई चेक से प्राप्त करेंगी। याचिनी सं0–2 कु0 मोहिनी व याचिनी सं0 3 कु0 सोहिनी रू0 76,500–76,500/–व उस पर ब्याज प्राप्त करेंगी। उक्त धनराशि उनके वयस्क होने की अवधि तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा योजना में 3 वर्ष के लिए निवेशित किये जाये, जिसका त्रैमासिक ब्याज उनकी प्राकृतिक संरक्षिका मां याचिनी सं01 सुनीता देवी प्राप्त करेंगी तथा अवयस्क याचिनी सं0 2 व 3 की शिक्षा, स्वास्थ्य, लालन–पाल आदि पर आवश्यकतानुसार खर्च करेगी।

याचिनी सं04 श्रीमती रामश्री रू0 1,01,901/–प्राप्त करेंगी, जिसमें से रू0 75,000/– किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा योजना में 3 वर्ष के लिए निवेशित किये जाये, जिसका त्रैमासिक ब्याज याचिनी सं04 प्राप्त करेंगी।

प्रार्थिनीगण का धनवापसी प्रार्थना–पत्र उपरोक्तानुसार जमा व भुगतान हेतु स्वीकार किया जाता है।

याचिनी सं01 श्रीमती सुनीता देवी के इलाहाबाद यू0पी0 ग्रामीण बैंक का एकाउन्ट नं0–14310100045988 है व याचिनी सं04 श्रीमती रामश्री के लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का एकाउन्ट नं0–XX7115 है। उक्त बैंक की फोटो प्रति भी साथ में संलग्न है।

दिनॉकः 14–07–2018

(जितेन्द्र कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रति0 न्याया0/अपर जिला जज,
मोहम्मदी, बाहय स्थित न्यायालय,
लखीमपुर खीरी।